



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2013 के क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, आदि के वितरण एवं प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 27/2013

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा-2013 के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, औपबन्धिक प्रमाण पत्र एवं प्ररजन प्रमाण पत्र आदि महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत के माध्यम से दिनांक 03.06.2013 से परिषद् कार्यालय, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के महाविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के महाविद्यालय प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से प्राप्त कर लेंगे।

- 1) जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, सूचीकरण संख्या, आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) दिनांक 25.06.2013 तक संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में निःशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अगसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 02.07.2013 तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- 2) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा अगसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 02.07.2013 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त दोनों प्रकार के आवेदन परिषद् कार्यालय, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित अवधि तक जमा लिये जायेंगे।

जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कुटनी के लिए अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान के द्वारा अगसारित आवेदन पत्र के साथ ₹150/- (एक सौ पचास रुपये) मात्र प्रति विषय की दर से शुल्क की कुल राशि "झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से देय एवं राँची में भुगतें, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से देय एवं दुमका में भुगतें तथा पलामू प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतें बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में दिनांक 02.07.2013 संख्या 5:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अवश्य जमा करेंगे। आवेदन के साथ छात्र/छात्रा का इन्टरनेट से निकाले गये अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

- 1) स्कुटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:--
 - (क) अंदर के पृष्ठ में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तब उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जायेगा।
 - (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।
 - (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जायेगा।
 - (घ) स्कुटनी के लिए आवेदन देनेवाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कुटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
- 2) ऐसे छात्र/छात्रायें जो इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि संस्थाओं में प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर चयनित हो चुके हैं, वे तत्सम्बन्धी टोस साक्ष्य के साथ स्कुटनी हेतु सीधे परिषद् में दिनांक 20.06.2013 तक आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा, 2013 का प्रवेश पत्र, इन्टरनेट से निकाला गया अंक पत्र तथा प्रति विषय ₹300/- की दर से शुल्क की कुल राशि "झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से देय एवं राँची में भुगतें जमा करने होंगे।
- 3) निर्धारित तिथि को 5:00 बजे अपराह्न के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के अगसारण एवं अनुशंसा के स्कुटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4) निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजा गया स्कुटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(सुशील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/259/13

Dt. 30.05.2013

D.O.P. 31.05.2013